प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

फोन/फैक्स नं0– 01375–224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड, वन विभाग हेल्प लाईन नं0–1926

पत्रांक– 3617 / 12–1 बड़कोट, दिनांक, 28 मई / 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11303/2015)।**

संदर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/111/2017/एफ0सी0/901 दिनांक– 10.10.2023 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–181/ब्रिडकुल/पी0एम0जी0एस0वाई0(मु0)–582(T)/25, दिनांक 27.05.2025 से आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित आख्या अनुसार ''विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अंतर्गत स्वीकृत समरेखण की कुल लम्बाई 8.40 कि0मी0 के अन्तिम बिन्दु के पश्चात समरेखण के इतर ग्रामवासियों की अतिरिक्त नाप भूमि पर 1.10 कि0मी0 सडक का विस्तार किया गया तथा संबंधित भूमि नाप भूमि होने के कारण भारत सरकार से अनुमति नही ली गई।'' प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपनी आख्या में यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समरेखण में कोई विचलन नही किया गया है।

अतः विषयक प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त आख्या संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप महा प्रबन्धक, सडक एवं सेतु ब्रिडकुल, मुख्यालय, देहरादून।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

Hp dextop DFO Office bOKT

CamScanner

ई–मेल pmgsybridcul@gmail.com
CIN No U45203UR2008SGC032591

ब्रिडकुल–पी०एम०जी०एस०वाई०–मुख्यालय
ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदरइन्फ्रास्ट्रक्चरडेवलपमेंटकॉरपोरेशनऑफउत्तराखण्डलिमिटेड
(उत्तराखण्डसरकारका उपक्रम)
प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना

प्रधानकार्यालयः अवस्थापनाभवन, 683–ए, राजकीय आई०टी०आई० निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुररोड, देहरादून–248001

पंत्रांकः–181 /ब्रिडकुल/पी०एम०जी०एस०वाई०(मु०)–542(7)/25 दिनांकः 27/05 /2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना प्रभाग बड़कोट।
उत्तरकाशी।

विषयः–प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/11303/20215 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि का वन अधिनियम 1980 के तहत गैर वनिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपके पंत्राक सं० 3554/12–1बड़कोट दिनांक 23 मई/2025 एवं पंत्राक सं० 2239/12–1बड़कोट दिनांक 25 जनवरी/2025 के भारत सरकार का पत्रांकः 8बी/यू०आर० आर०डी०ए०/6/ 111/20217 एफ०सी०/90/दिनांक 10.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्धित पत्रों के कम में अवगत कराना है कि **"भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में लगाई गई आपत्ति की प्रयुक्ता अभिकरण द्वारा समरेखण के बदलाव के सम्बन्ध में स्वयं से ही पत्र दिनांक 30.03.2021 को जारी कर दिया गया। तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त नही की गई है"** के कम में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार है।

1. वन भूमि प्रस्ताव के अंतर्गत उल्लेखित सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग कुल लम्बाई 8.40 कि०मी० है जिसका क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है।

क्र०सं०	भूमि की किस्म	लम्बाई (मी०)	चैनेज संख्या
1.	नाप भूमि	2450.00	0.00–1.80 कि०मी० एवं 7.75–8.40 कि०मी०
2.	सिविल सोंयम भूमि	4850.00	1.80–6.65 कि०मी०
3.	आरक्षित वन भूमि	1100.00	6.65–7.75 कि०मी०
4.	कुल योग	8400.00	

2. उपरोक्त प्रस्तावित नाप भूमि के अन्तर्गत पूर्व में ही मोटर मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु 0.00 से 1.10 कि०मी० तक RWD द्वारा कटिंग कर दी गई थी।
3. आरक्षित वन एवं सिविल सोंमय भूमि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित 4.165 है० भूमि में उपरोक्त उल्लेखित तालिकानुसार स्वीकृत समरेखण के अनुरूप कार्य किया गया।
4. मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 8.40 कि०मी० के समरेखण कें अंतिम बिन्दु के पश्चात प्रस्ताव में उल्लेखित भूमि/समरेखण के इत्तर ग्रामवासीयो कि अतरिक्त नाप भूमि पर 1.10 कि०मी० रोड का विस्तार किया गया है। तथा विस्तारित की गई 1.10 कि०मी० रोड से सम्बन्धित भूमि नाप भूमि होने के कारण भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति नहीं ली गई । इस प्रकार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समरेखण में कोई विचलन नहीं किया गया।
5. इस प्रकार स्पष्ट करना है कि भारत सरकार कं पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/111/20217/एफ०सी०/1313 दिनांक25.09.20218 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में प्रयुक्ता एजेंसी को प्रत्यावर्तित 4.165 है० भूमि के समरेखण में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं किया गया है।

27/5

(इं० अजय कुमार)
उपमहाप्रबन्धक सडक एवं सेतु ब्रिडकुल
मुख्यालय–देहरादून।

प्रतिलिपिः–1. इकाई प्रभारी पी०एम०जी०एस०वाई०ब्रिडकुल बड़कोट को सादर सूचनार्थ आवश्ययक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मास्टर फाईल।

उपमहाप्रबन्धक सडक एवं सेतु ब्रिडकुल
मुख्यालय–देहरादून।

CamScanner

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत सेगलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्मित है 4.165 है0 यन भूमि का ग्राम्य विकारा विभाग के प्रत्यावर्तन के कम मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया मोटर मार्ग के अंतिम विन्दु से 1.10 कि0मी0 सडक का विस्तारीकरण किया गया है। जो कि ग्रामीण नाप भूमि है।

धारली

राजस्व उपनिरीक्षक